कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक/2395/DMF /ख.लि./2018 जांजगीर, दिनांक 18/07/2018

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र. एफ–7/34/2016/XII नया रायपुर, दिनांक 11.07.2017 एवं आदेश क्रमांक एफ–7/34/2016/XII (क) नया रायपुर, दिनांक 27.01.2018 के तहत् छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 36 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) हेतु जिला जांजगीर–चाम्पा हेतु पद संरचना में स्वीकृत पदों में संविदा भर्ती हेतु निम्न पद हेतु अर्हताधारी योग्य उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर–चाम्पा में अंतिम तिथि 10.08.2018 तक कार्यालयीन समय पर केवल स्पीड/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। संविदा भर्ती हेतु पदवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान–ग्रेड वेतन (रूपये में)	पद संख्या	न्यूनतम अर्हता
1	विकास सहायक	75000/– रू. (प्रतिमाह निश्चित वेतन)	02 (अजा मुक्त–1 + अजजा मुक्त–1)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन में (Management) स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा। (2) Prime Minister's Rual Development Fellows Scheme (PMRDF) में Fellows के रूप में कार्य करने अथवा किसी समान पद पर 02 वर्ष का अनुभव। उपरोक्त में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं मिलने पर निम्नलिखित अर्हताधारी अभ्यर्थी के नाम पर विचार किया जावेगा। प्रबंधन स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के साथ शासकीय /अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्थान में पी.एम.आ.डी.एफ. (Prime Minister's Rual Development Fellows Scheme) के समतुल्य अथवा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।

नियुक्ति का तरीका :–

01. प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जो विज्ञापित पदो के पांच गुना होगी।
02. मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
03. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो कि एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
04. मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

अन्य शर्ते :–

01. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन महंगाई भत्ता क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
02. संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
03. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।

04. संविदा नियुक्ति समान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

05. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

06. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन,उपक्रम या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।

07. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

08. अजा/अजजा/अपिव वर्ग के आवेदको को जाति की पुष्टि मे प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

09. आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पों की अंकसूची स्वहस्ताक्षरित/छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन मान्य कर दिया जावेगा। इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगें।

10. यह नियुक्ति रिट पिटीशन (सी) कमांक/591/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

11. आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज नवीनतम अभिप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है।

12. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा इस संबंध में आवेदक को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जावेगी अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगें।

13. लिफाफा के उपर नाम एवं पदनाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख किया जावे अथवा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफा के उपर प्रेषक का नाम एवं पता पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावें।

14. प्राप्त आवेदन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

15. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण–पत्रों की जांच सही पाये जाने पर नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।

16. चिकित्सा एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

17. आवेदन पत्र का प्रारूप एन.आई.सी. की वेबसाईट **www.janjgir-champa.gov.in** में देखा जा सकता है।

कलेक्टर
जिला जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.

पृ.क्र./2396./DMF/ख.लि./2018

जांजगीर, दिनांक 18/07/18

प्रतिलिपि :–

01. व्यस्थापक, छ.ग. जिला खनिज संस्थान एवं सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

02. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला जांजगीर–चाम्पा की ओर एक प्रति के साथ प्रेषित है, आप जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

कलेक्टर
जिला जांजगीर–चाम्पा, छ.ग.